[2008] 3 एस.सी.आर. 804

ट्राइम्बैक

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

4 मार्च, 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और पी. सथासिवम, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 300 अपवाद 4, धारा 302 और धारा 304 भाग I- आरोपी और मृतक के बीच अचानक लड़ाई- आरोपी ने मृतक पर पास में पड़ी कुल्हाड़ी से हमला किया- मृतक की पत्नी ने हस्तक्षेप किया और उसके सिर पर भी कुल्हाड़ी से वार किया गया- नीचे की अदालतों ने धारा 302 और 324 के तहत आरोपी को दोषी करार दिया- आरोपी ने धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता की दलील दी- माना गया: तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उचित सजा धारा 302 के अंतर्गत नहीं होकर धारा 304 भाग-I के तहत होगी- तदनुसार दोषसिद्धि में परिवर्तन किया गया।

धारा 302- इसकी प्रयोज्यता, जब एक ही प्रहार किया जाता है- आयोजित: यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम नहीं है कि जब कभी भी एक प्रहार किया जाता है, तो धारा 302 को खारिज कर दिया जाये- यह

इस्तेमाल किए गए हथियार, आकार और बल जिसके साथ प्रहार किया गया था, शरीर के किस हिस्से पर किया गया था और कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

धारा 300 अपवाद 4 -आवश्यक सामग्री का आह्वान।

शब्द और वाक्यांश:

'लड़ाई', 'अचानक लड़ाई', 'अनुचित लाभ' - का अर्थ- अपवाद 4 से धारा 300 भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी और मृतक खेत में मौजूद थे। आरोपी और मृतक के बीच जुबानी जंग हुई। इसके बाद आरोपी ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उसने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब मृतक की पत्नी बीच-बचाव करने के लिए आगे बढ़ी तो आरोपी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हमले के कारण मृतक की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी को खून बहने से चोटें आईं। विचारण न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और 324 के अपराधों के लिए दोषी ठहराया, हालांकि उसे आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध से बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मृतक ने अचानक झगड़े के दौरान अपनी जान गंवा दी और कोई पूर्वधारणा नहीं थी

और आरोपी ने फायदा नहीं उठाया था और क्रूर तरीके से काम नहीं किया था; कथित तौर पर कुल्हाड़ी उठाकर केवल एक ही वार किया गया था; इससे पहले वह सशस्त्र नहीं था और किसी भी घटना में केवल एक झटका दिया गया था। संक्षेप में यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 302 आईपीसी लागू नहीं होगी और धारा 300 आईपीसी का अपवाद 4 लागू होगा।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने माना:

1. आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि कृत्य बिना किसी पूर्वधारणा के, अचानक हुई लड़ाई में अचानक हुए झगड़े पर जुनून की गर्मी में अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया। [पैरा 9] [810-बी]

2. आईपीसी की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की वह गर्मी है जो पुरुषों के शांत कारण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद

1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई झटका दिया गया हो, या विवाद की उत्पत्ति में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण उन्हें समान स्तर पर अपराधबोध रखता है। एक "अचानक लड़ाई" का तात्पर्य आपसी उकसावे और प्रत्येक पक्ष पर मारपीट से है। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं होती है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लड़ने का कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। एक लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए अधिक या कम दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने आचरण से इसे नहीं बढ़ाया होता तो इसने इतना गंभीर मोड़ नहीं लिया होता। इसके बाद परस्पर उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी पर जो दोष लगता है उसकाे विभाजित करना कठिन होता है। अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब यदि मृत्यु (ए) पूर्वचिन्तन के बिना हुई हो; (बी) अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के

लिए उसमें उल्लेखित सभी अवयवों को आवश्यक होना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जुनून की गर्मी के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने का समय न मिले। इस मामले में, शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण पार्टियों ने गुस्से में काम किया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य नही किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ "अनुचित लाभ" है। [पैरा 10] [810-सी-एच; 811-ए-ई]

3. इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी एक झटका दिया जाता है, धारा 302 आईपीसी को खारिज कर दिया जाता है। यह इस्तेमाल किए गए हथियार, कुछ मामलों में इसके आकार, बल जिसके साथ झटका दिया गया था,

शरीर का हिस्सा जिस पर यह दिया गया था और ऐसे कई प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। [पैरा 11] [811-ई, एफ]

4. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उचित दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 304 (I) के तहत होगी और दस साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। [पैरा 12] [811-एफ, जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 438

बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ, नागपुर, के आपराधिक अपील संख्या 58/2002 के अंतिम आदेश और निर्णय दिनांक 15.9.2005 से।

अपीलकर्ता की ओर से बिमल रॉय जद और सुनीता पंडित।

प्रतिवादी की ओर से रवीन्द्र केशवराव ने आश्वासन दिया।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच की डिवीजन बेंच के फैसले को है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा उसके समक्ष दायर अपील को

खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता को कथित तौर पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और 2001 की सत्र परीक्षण संख्या 58 में विद्वान सत्र न्यायाधीश अकोला द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध का भी दोषी पाया गया। दोनों अपराधों के लिए डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 6 महीने की सजा और जुर्माना लगाया गया। आगे यह भी आदेश दिया गया कि यदि जुर्माना राशि जमा कर दी जाती है तो शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 2,000/- रुपये की राशि का भुगतान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 357 के संदर्भ में किया जाएगा।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

नर्मदाबाई (पीडब्लू2) शामराव तेलगोटे (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की विधवा है, जो गाइगांव गांव के पास स्थित एस.के. माजिद नामक व्यक्ति के खेत में काम कर रही थी। शामराव खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहा था और आरोपी खेत में काम कर वहीं झोपड़ी बनाकर रह रहा था। खेत के मालिक एस.के. माजिद का घर भी मैदान में स्थित था और एस.के. माजिद उक्त मकान में अपनी मां गुलाबी के साथ रहता था।

24.12.2000 को शाम 7:30 बजे नर्मदाबाई और गुलाबी खेत में गुलाबी के घर के सामने बैठे थे। आरोपी और मृतक शामराव वहाँ मौजूद थे। वहाँ अभियुक्त और शामराव के बीच मौखिक आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद आरोपी ने वहां पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और उसने शामराव के सिर पर उक्त कुल्हाड़ी से हमला किया। जब नर्मदाबाई बीच-बचाव करने के लिए आगे बढ़ी तो आरोपी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हमले के कारण शामराव की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी को खून बहने से चोटें आईं। इसके बाद आरोपी खेत से फरार हो गया। चूँकि यह रात का समय था और उराल स्थित पुलिस स्टेशन जाने के लिए कोई परिवहन नहीं था, नर्मदाबाई पुलिस स्टेशन नही गयी। उसने अगले दिन यानी 25.12.2000 सुबह एक मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत पीएसआई मधुखर भोगे (पीडब्लू 8) द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज की गयी। अनुसंधान शुरू किया गया और आरोपी को 01.01.2001 पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अनुसंधान पूरा करते हुए, अभियुक्त के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302 और 307 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की और आरोपी के खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए कई दस्तावेज भी पेश किए। अभियुक्त का बचाव इनकार में से एक था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सराहना करने के बाद, ट्रायल

कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा को अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। प्राथमिक रुख यह था कि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। दूसरी ओर, राज्य का रुख यह था कि नर्मदाबाई (पीडब्लू-1) जिसका साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण था, को खुद चोटें लगी थीं। अपील खारिज कर दी गई।

4. अपील के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाए गए रुख को दोहराया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक परिदृश्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अचानक झगड़े के दौरान हमला किया गया और मृतक की जान चली गई।

5. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चोट की प्रकृति को देखते हुए अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही दोषी ठहराया गया है।

6. अपीलकर्ता का मूल रुख यह प्रतीत होता है कि झगड़े के दौरान यह घटना घटी। इस तथ्य को नर्मदाबाई (पीडब्लू 1) ने भी स्वीकार किया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी और मृतक के बीच मौखिक आदान-

प्रदान हुआ था और उसके बाद आरोपी ने वहां पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और मृतक पर हमला किया।

7. अपीलकर्ता की पृष्ठभूमि के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हमला अचानक हुए झगड़े के दौरान किया गया था। कोई पूर्वधारणा नहीं थी और आरोपी ने फायदा नहीं उठाया और क्रूर तरीके से कार्य भी नहीं किया। कथित तौर पर कुल्हाड़ी उठाने के बाद केवल एक ही वार किया गया। इससे पहले वह हथियारबंद नहीं था। किसी भी स्थिति में केवल एक झटका दिया गया। संक्षेप में यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 302 आईपीसी का कोई अनुप्रयोग नहीं है और धारा 300 आईपीसी का चौथा अपवाद लागू होता है।

8. मुख्य दलील आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है।

9. इसे संचालन के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, जोश में आकर अचानक हुई लड़ाई में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया गया था।

10. आईपीसी की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद

इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की वह गर्मी है जो पुरुषों के शांत कारण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई झटका दिया गया हो, या विवाद की उत्पत्ति में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण उन्हें समान स्तर पर अपराधबोध रखता है। एक "अचानक लड़ाई" का तात्पर्य आपसी उकसावे और प्रत्येक पक्ष पर मारपीट से है। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं होती है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लड़ने का कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। एक लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए अधिक या कम दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने आचरण से इसे नहीं बढ़ाया होता तो इसने इतना गंभीर मोड़ नहीं लिया होता। इसके बाद परस्पर उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी पर जो

दोष लगता है उसकाे विभाजित करना कठिन होता है। अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब यदि मृत्यु (ए) पूर्वचिन्तन के बिना हुई हो; (बी) अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लेखित सभी अवयवों को आवश्यक होना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जुनून की गर्मी के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने का समय न मिले। इस मामले में, शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण पार्टियों ने गुस्से में काम किया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य ढंग से

कार्य नही किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ "गैरवाजिब लाभ" है।

11. इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी एक झटका दिया जाता है, धारा 302 आईपीसी को खारिज कर दिया जाता है। यह इस्तेमाल किए गए हथियार, कुछ मामलों में इसके आकार, बल जिसके साथ झटका दिया गया था, शरीर का हिस्सा जिस पर यह दिया गया था और ऐसे कई प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा।

12. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उचित दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 304 (I) के तहत होगी और दस साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

13. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आयुष गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।